फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम इरसाद**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर 15/121/**2022 दायर दिनांक 11.04.2022**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.06.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी इरसाद पुत्र नियाजू, जाति मेव निवासी ग्राम मिरजापुर, तहसील किशनगढ़बास, जिला अलवर राजस्थान जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन पिकअप रजि0 सं0 आर.जे.29 जी.ए. 7269 अन्तर्गत धारा 5, 8 आर.बी.एक्ट के तहत थाना मुण्डावर द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना मुण्डावर से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी मुण्डावर द्वारा निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन पिकअप रजि0 सं0 आर.जे.29 जी.ए. 7269 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है, तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी कि बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 सं0 आर.जे.29 जी.ए. 7269 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 5,00,000/- (पांच लाख रूपये मात्र/- तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 21.06.2022 को पेश हों। जिला कलक्टर अलवर	

27/06/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बाद में पेश करने जमानतनामा/मुचलका पत्रावली दि. 04/07/22 को पेश हो।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

04/07/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने निर्धारित राशि के जमानत/मुचलका/बंधपत्र पेश किये जो तस्दीक कर शामिल पत्रावली किये गये। S.H.O., पुलिस थाना को अविलम्ब भेजे हुक्म। पत्रावली वास्ते तामील होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)